12 cm W x 28 cm H

NSE

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

"एक्सचेंज प्लाजा", बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051

सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के विनियम 32(3) के अनुसार अनिवार्य रूप से कंपनियों के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग के लिए सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2012 (''असूचीबद्धता विनियम'') के विनियम 32 (3) के अनुसार और प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम,1956 की धारा 21ए के अंतर्गत बनाए गए नियमों और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (''एक्सचेंज'') के नियमों, उपनियमों तथा विनियमों के अनुसार एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित तीन कंपनियों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) करने का प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि उक्त कंपनियों ने अन्य बातों के साथ–साथ अपनी प्रतिभूतियों को असूचीबद्ध करने का आधार बना लिया है. अर्थात उक्त कंपनियों की प्रतिभूतियों में व्यापार परिसमापन (लिक्विडेशन) के कारण छः महीने से अधिक समय से निलंबित है.

एक्सचेंज ने कंपनी को उसके अंतिम ज्ञात पते और एक्सचेंज के अभिलेखों के अनुसार पंजीकृत ईमेल पते पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उक्त कंपनीओं का इस संबंध में **कारण बताने के लिए** कहा गया है कि क्यों नहीं कंपनी के इक्विटी शेयरों को अनिवार्य रूप से एक्सचेंज से हटा दिया जाना चाहिए. कंपनी का नाम और एक्सचेंज के अभिलेखों के अनुसार उसका अंतिम ज्ञात पता नीचे दिया गया है :

क्रमांक	कंपनी	*कंपनी का पंजीकृत पता
1	यासुन रेरॉली लिमिटेड#	'टेंपल टावर' छठी मंजिल, 672, अन्ना सलाई, नंदानम, चेन्नई – 600035
2	पुंज–लॉयड लिमिटेड#	पुंज लॉयड हाउस 17–18 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली DI 110019 IN
3	सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड #	74, हेमकुंट कॉलोनी, नई दिल्ली DL 110048 IN

***एक्सचेंज के अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध पता.**

#ये कंपनियां परिसमापन के अधीन हैं; इसलिए, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 34 के परिणाम इन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे।

अनिवार्य डीलिस्टिंग के परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं :

– उपरोक्त कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं रह जाएगी. कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज की विकीर्णन समिति में ले जाया जाएगा

असूचीबद्धता विनियमों के विनियम 34 के अनुसार,

1. डीलिस्ट की गई कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, उसके प्रवर्तक, और द्वारा प्रवर्तित कंपनियाँ इनमें से कोई भी इस तरह की डीलिस्टिंग की तिथि से दस वर्ष की अवधि तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार में प्रवेश नहीं करेगा या किन्हीं इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग की कोशिश नहीं करेगा या प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा.

2. जिस कंपनी का उचित मूल्य धनात्मक है, उसके मामले में –

ए. इस तरह की कंपनी और डिपॉजटरीज़ प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा धारित किन्हीं इक्विटी शेयरों की बिक्री, बंधक आदि के माध्यम से हस्तांतरण कार्यान्वित नहीं करेंगे और लाभांशों, राइट्स, बोनस शेयरों, स्प्लिट, आदि जैसे कॉर्पोरेट लाभों को प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयरों के लिए रोक दिया जाएगा, जब तक कि इस तरह की कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा इन विनियमों के विनियम 33 के उप–विनियम (4) का अनुपालन करते हुए सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने का विकल्प नहीं प्रदान किया जाएगा, जैसा कि प्रासंगिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित है;

बी. अनिवार्य रूप से डीलिस्ट की गई कंपनी के प्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक नहीं बन सकेंगे, जब तक कि खंड (ए) में उल्लेखानुसार बाहर निकलने का विकल्प नहीं प्रदान किया जाएगा.

असूचीबद्धता विनियमों के विनियम 33 के अनुसार,

1. जहाँ किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डीलिस्ट किया गया है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक स्वतंत्र मूल्यांकक नियुक्त किया जाएगा जो डीलिस्ट किए गए इक्विटी शेयरों का उचित मूल्य निर्धारित करेगा.

2. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विशेषज्ञ मूल्यांकक(कों) का एक पैनल बनाया जाएगा और उक्त पैनल से उप–विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकक(कों) की नियुक्ति की जाएगी.

3. डीलिस्ट किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्य सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के विनियम 20 के उप–विनियम (2) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकक(को) द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

4. कंपनी के प्रवर्तक(कों) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग की तिथि से तीन महीनों के भीतर मूल्यांकक द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करके सार्वजनिक शेयरधारकों से डीलिस्ट किए गए इक्विटी शेयरों को सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा अपने शेयर बनाए रखने के विकल्प के अधीन उपार्जित किया जाएगा .

5. प्रवर्तक अनिवार्य डीलिस्टिंग पेशकश के अंतर्गत अपने शेयरों की पेशकश करने वाले सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि विनियम 33 के उप–विनियम (3) के अनुसार देय कीमत का विनियम 33 के उप–विनियम (4) के अंतर्गत निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर सभी शेयरधारकों को भुगतान नहीं किया जाता है.

#ये कंपनियां परिसमापन के अधीन हैं और इसलिए :

ए. सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR/CIR/P/2016/81 दिनांक 07 सितंबर 2016 के प्रावधान इन कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं.

बी. परिसमापनाधीन कंपनियों के मामले में सेबी से निम्नलिखित निर्देश मिले हैं :

(I) यदि किसी कंपनी को अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति या परिसमापन के आदेश से पहले अनिवार्य रूप से डीलिस्ट कर दिया गया है,तो असूचीब्धता विनियमों के विनियम 34 के अंतर्गत प्रदान किया गया प्रावधान लागू होगा.

(II) यदि किसी कंपनी को अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति या परिसमापन के आदेश से पहले अनिवार्य रूप से डीलिस्ट नहीं किया गया है,तो डीलिस्टिंग की प्रक्रिया कानून के परिचालन से होगी और असूचीब्धता विनियमों के विनियम 34 के अंतर्गत प्रदान किया गया प्रावधान लागू नहीं होगा.

कोई भी व्यक्ति जो प्रस्तावित डीलिस्टिंग से व्यथित हो सकता है,13 जुलाई 2023 तक एक्सचेंज की डीलिस्टिंग समिति के समक्ष अभ्यावेदन कर सकता है.

अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति(यों) के पूर्ण संपर्क विवरण के साथ अभ्यावेदन निम्नलिखित को संबोधित किया जाना चाहिए :

डिलिस्टिंग कमेटी, एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 'एक्सचेंज प्लाजा, सी–1, ब्लॉक–जी, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051. संपर्क नंबर : +91 22 26598100 (23462) , ई–मेल: सीसी: delisting@nse.co.in के साथ dl-insp-enf-delisting@nse.co.in.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के वास्ते और की ओर से

स्थान: मुंबई

दिनांक: 21 जून 2023

Nifty50